



जनपद गाजियाबाद प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03-02-21

थाना कविनगर पुलिस द्वारा फायरिंग करने के अपराध में वांछित चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा जघन्य अपराध में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 02.02.2020 को थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 114/2021 धारा 336 भादवि में वांछित चल रहे अभियुक्त कुनाल पुत्र सुनील कुमार निवासी एस एच 184 शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद को मुखबिर की सूचना पर समय 19.30 बजे अभियुक्त के घर के पास शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र कविनगर से गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना से सम्बन्ध दो खोखा कारतूस बरामद हुए।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसने अपने पिता की लाईसेन्सी पिस्टल द्वारा दिनांक 31.01.21 को रात्रि समय 08.30 बजे शास्त्रीनगर रोड पर फायरिंग की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 114/2021 धारा 336 भादवि पंजीकृत किया गया तथा थाना कविनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियुक्त कुनाल उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

कुनाल पुत्र सुनील कुमार निवासी एस एच 184 शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष शिक्षा 10 वी पास।

बरामदगी का विवरण:-

02 खोखा कारतूस .32 बोर (घटना में प्रयुक्त)

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- मु0अ0सं0 114/2021 धारा 336 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- मु0अ0सं0 643/2017 धारा 120बी/323/354क/354घ भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।



थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा अमेजन कम्पनी द्वारा डिलीवर किये जाने वाले पैकेट में से फोन चोरी करने वाला अभि0 गिरफ्तार 02 मोबाइल फोन बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों व वाहन चोरों व तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद के नेतृत्व में दिनांक 03.02.2021 को समय 08.20 बजे थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा साहिबाबाद सब्जी मण्डी के गेट न0 02 के सामने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त बिट्टू सिंह पुत्र मुन्ना सिंह निवासी ग्राम फरीदपुर बेडी थाना

छजलेट जिला मुरादाबाद हाल किरायेदार सरस्वती कालोनी गांव साहिबाबाद थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया । अभि० से 02 अदद मोबाइल फोन बरामद किये गये हैं । उक्त के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 0034/2021 धारा 381/411 भादवि पंजीकृत किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. बिट्टू सिंह पुत्र मुन्ना सिंह निवासी ग्राम फरीदपुर बेडी थाना छजलेट जिला मुरादाबाद हाल किरायेदार सरस्वती कालोनी गांव साहिबाबाद थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण -

1. सैमसंग गैलेक्सी M31 रंग मिराज ब्लू IMEI NO 354076/82472377/1
2. वन प्लस 7 प्रो रंग मिरर ग्रे IMEI NO 865166041560130

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु०अ०सं० 0034/2021 धारा 381/411 भादवि थाना लिंक रोड गाजियाबाद

अभियुक्त का अपराध करने का तरीका :-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि अमेजन कम्पनी के वेयर हाउस A26 , CWC सा०बाद गा०बाद से जो ग्राहको को डिलीवर होने के लिये आते थे उनमे से मे फोन निकाल लेता था और पैकिंग डिब्बो में से मोबाइल निकालकर खाली डिब्बे को पैक कर देता था ।



थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री अभय कुमार मिश्र महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीम द्वारा दिनांक: 02/02/2021 को गौशाला फाटक के पास **थाना कोतवाली नगर** गाजियाबाद से दौराने चैकिंग 01 नफर अभियुक्त संजय राम पुत्र हरकित राम को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ । जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद पर मु०अ०सं० 0060/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है ।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

निल

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. संजय राम पुत्र हरकित राम निवासी ग्राम लक्खी सराय थाना कील जिला बेगूसराय (बिहार) उम्र करीब 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त संजयराम उपरोक्त: -

- मु०अ०सं० 0060/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

- अभियुक्त के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद ।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 02 नफर अंतर्राज्यीय वाहन चोर, मोबाईल लूटेरे व नशीले पदार्थ अल्प्राजोलम का विक्रय करने वाले अभियुक्त मय चोरी की दो मोटर साईकिल , 06 लूटे गये मोबाईल व 384 ग्राम नशीला पाउडर

अल्प्राजोलम के साथ गिरफ्तार

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों एवं लूटेरो व वाहन चोरो व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालो की धर पकड व आपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी लोनी के पर्यवेक्षण में थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 03.02.21 को आरएमएस चौराहा समय 5.00 बजे सुवह मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.मौ0 शज्जाद उर्फ मोनू पुत्र मौ0 फारूख नि0 त्यागी का मकान ईदगाह के पास सलाम विरयानी के सामने राशिद अली गेट थाना लोनी गा0बाद मूल नि0 ग्राम डेरी थाना प्लासी जिला अररिया विहार 2.कासिम पुत्र युयुफ नि0 सैनपुर कलाँ थाना बुढाना जिला मु0नगर हाल नि0 ईदगाह के पास राशिद अली गेट गुजरो का मकान थाना लोनी गा0बाद को 02 अदद चोरी की गयी मोटर साईकिल व 06 लूटे/चोरी गये मोबाईल व 384 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम नाजायाज के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अपराध का तरीका/पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम लोग लोनी में रहते है तथा दिल्ली व गाजियाबाद के आस पास के कस्बों से वाहन व मोबाईल आदि लूटते/चोरी करते है एवं नशीला पाऊडर अल्प्राजोलम को बेचकर पैसे कमाते है। व क्षेत्र से अपराध करके दिल्ली चले जाते है व दिल्ली में अपराध करके गाजियाबाद क्षेत्र में आ जाते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण -1.मौ0 शज्जाद उर्फ मोनू पुत्र मौ0 फारूख नि0 त्यागी का मकान ईदगाह के पास सलाम विरयानी के सामने राशिद अली गेट थाना लोनी गा0बाद मूल नि0 ग्राम डेरी थाना प्लासी जिला अररिया विहार 2.कासिम पुत्र युयुफ नि0 सैनपुर कलाँ थाना बुढाना जिला मु0नगर हाल नि0 ईदगाह के पास राशिद अली गेट गुजरो का मकान थाना लोनी गा0बाद.

आपराधिक इतिहास -

- 1.मु0अ0स053/2021 धारा 411/413/482/414 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद
2. मु0अ0स0 54/21 धारा 8/22 NDPS Act थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद
- 3.मु0अ0स0 55/2021 धारा 8/22 NDPS Act थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद
- 4- मु0अ0स0- 93/21 धारा -379 भादवि थाना विजय नगर गाजियाबाद
- 5- मु0अ0स0 002813/21 धारा 379 भादवि थाना खजूरी खास दिल्ली

बरामदगी का विवरण -

1. दो चोरी की मोटर साईकिल जिन पर फर्जी नम्बर प्लेट लगी है।
2. 6 लूट व चोरी के मोबाईल
3. 384 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम नाजायाज



500 लीटर शराब बरामद:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी महोदय द्वारा चैकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति रोकथाम जुर्म जरायम चैकिंग मादक पदार्थ की बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री डा० ईरज राजा महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर श्री सुनील कुमार सिंह के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री ओमप्रकाश आर्य के कुशल नेतृत्व में 1-व०उ०नि० श्री सहेन्द्र सिंह, उ०नि० श्री विपिन कुमार, उ०नि० श्री राजकुमार, है०का० 1355 गिरीश कुमार, का० 2427 अंकित कुमार व आबकारी टीम द्वारा दिनांक 02.02.21 को समय 16:00 बजे थाना निवाडी के ग्राम भनेडा के जंगल में नवीन पुत्र श्रीचन्द के गन्ने के खेत से प्लास्टिक के दस ड्रमों में कुल 500 लीटर अवैध एल्कोहल/रैक्टिफाइड स्पिरिट 5 लीटर रंग से भरी हुई एक कट्टी व 8 किलोग्राम यूरिया, एक बाल्टि व मग प्लास्टिक के बरामद हुए हैं। अभियुक्तगण 1-परवीन उर्फ टुक्की पुत्र श्रीचन्द निवासी ग्राम भनेडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद, 2-नवीन पुत्र श्रीचन्द निवासी ग्राम भनेडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद, 3-एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात मौके से गन्ने के खेतों को फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहे। इस सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं०-19/21 धारा 60/60क आबकारी अधिनियम व धारा 272/273 भादवि पंजीकृत किया गया।

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा एल्कोहल/रैक्टिफाइड स्पिरिट में यूरिया व रंग मिलाकर अपमिश्रित अवैध शराब बनाना।

वांछित अभियुक्तगण-

- 1-परवीन उर्फ टुक्की पुत्र श्रीचन्द निवासी ग्राम भनेडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद,
- 2-नवीन पुत्र श्रीचन्द निवासी ग्राम भनेडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद,
- 3-एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात

बरामदगी का विवरण:-

- 1-एल्कोहल/रैक्टिफाइड स्पिरिट दस ड्रम करीब 500 लीटर,
- 2-पाँच लीटर रंग से भरी हुई एक कट्टी
- 3- 8 किलोग्राम यूरिया,
- 4-एक बाल्टि
- 5-एक मग प्लास्टिक

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

1-मु0अ0सं0-19/21 धारा 60/60क आबकारी अधिनियम व धारा 272/273 भादवि थाना निवाडी गाजियाबाद

गौवध अधिनियम के वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार :-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी महोदय द्वारा अपराध नियन्त्रण/चैकिंग संदिग्ध वाहन/वांछित अभियुक्त/अपराध नियन्त्रण के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 ईरज राजा महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी मादीनगर श्री सुनील कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री ओमप्रकाश आर्य के नेतृत्व में उ0नि0 श्री रीगल कुमार, उ0नि0 श्री विपिन कुमार, है0का0 1355 गिरीश, का0 चालक 2427 अंकित कुमार, है0का0 878 प्रियांक, का0 1187 स्वतन्त्र द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 02/21 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम के वांछित अभियुक्तगण को दिनांक 03.02.21 को समय 01:30 बजे जंगल ग्राम एम0पी0 सिखैडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद में दोबारा गौ हत्या के इरादे से आये अभियुक्तगण 1-रजिवान पुत्र आस मौहम्मद निवासी ग्राम सालेह नगर थाना जानी जिला मेरठ, 2-इरशाद पुत्र शाहबुद्दीन उर्फ शाबू निवासी हर्षा थाना सरूरपुर जिला मेरठ हाल पता नूरनगर पुलिया ईदगाह कालौनी तारापुरी रोड थाना बृहमपुरी जिला मेरठ, 3-कृष्ण पुत्र लेखराज निवासी सालेहनगर थाना जानी जिला मेरठ, 4-यूसुफ पुत्र शाहबुद्दीन उर्फ शाबू निवासी ग्राम हर्षा थाना सरूरपुर जिला मेरठ हाल पता नूरनगर पुलिया के पास ईदगाह कालौनी तारापुरी रोड थाना बृहमपुरी जिला मेरठ, 5-जीशान पुत्र अकबर निवासी ढलाई वाली गली जीनियश स्कूल के पास चार खम्बे सौकत कालौनी श्याम नगर रोड थाना लिसाडीगेट जिला मेरठ, 6-अरुण पुत्र बीरपाल निवासी जोहरा थाना जानी जिला मेरठ हाल पता एम0पी0 सिखैडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0-20/21 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, मु0अ0सं0-21/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम, मु0अ0सं0-22/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम, मु0अ0सं0-23/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम, मु0अ0सं0-24/21 धारा 482/414 भादवि, मु0अ0सं0-25/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम, मु0अ0सं0-26/21 धारा 482/414 भादवि पंजीकृत किया गया

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्तगण द्वारा धारा 3/5/8 गौ हत्या कर मांस विक्रय करने तथा अवैध छुरी रखने का अपराध कारित किया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1-रजिवान पुत्र आस मौहम्मद निवासी ग्राम सालेह नगर थाना जानी जिला मेरठ, 2-इरशाद पुत्र शाहबुद्दीन उर्फ शाबू निवासी हर्षा थाना सरूरपुर जिला मेरठ हाल पता नूरनगर पुलिया ईदगाह कालौनी तारापुरी रोड थाना बृहमपुरी जिला मेरठ,

3-कृष्ण पुत्र लेखराज निवासी सालेहनगर थाना जानी जिला मेरठ,

4-यूसुफ पुत्र शाहबुद्दीन उर्फ शाबू निवासी ग्राम हर्षा थाना सरूरपुर जिला मेरठ हाल पता नूरनगर पुलिया के पास ईदगाह कालौनी तारापुरी

रोड थाना ब्रहमपुरी जिला मेरठ, 5-जीशान पुत्र अकबर निवासी ढलाई वाली गली जीनियश स्कूल के पास चार खम्बे सौकत कालैनी श्याम नगर रोड थाना लिसाडीगेट जिला मेरठ,

6-अरुण पुत्र बीरपाल निवासी जोहरा थाना जानी जिला मेरठ हाल पता एम0पी0 सिखैडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद

वांछित अभियुक्तगण-

कोई अभियुक्त वांछित नहीं है।

बरामदगी का विवरण:-

- मो0स0 1- पेशन प्रो रंग काला जिसकी फर्जी प्लेट न0 UP14BX8806 व सही न0 DL5SAK1188 जिसका चैचिस न0 MBLHA10AWCGH23201 तथा इन्जन न0 HA10ENCGH53295 जिसके सम्बन्ध मे थाना सीमा पुरी पर एफआईआर न0 435/2015 पंजीकृत है।
- मो0सा0 स्पलेन्डर न0 UP14 B8563 जिसका सही न0UP14DC8219 जिसका चैचिस न0 MBLHA10GGHM09267 इन्जन न0 HA10ERGHM09352 जिसके सम्बन्ध मे थाना कविनगर पर मु0अ0स0 2097/2019 धारा 379 भादवि पंजीकृत है
- एक स्विफ्ट DL2CAG5238, व नम्बर दो
- चेवरलेट स्पार्क DL2CAG1919 सम्बन्धित धारा-207 MV.Act
- चार अदद चाकू
- दो अदद नम्बर प्लेट
- तीन गौवंश जिन्दा

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- 1- मु0अ0सं0-20/21 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, थाना निवाडी गाजियाबाद
- 2- मु0अ0सं0- 21/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम, थाना निवाडी गाजियाबाद
- 3- मु0अ0सं0-22/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम, थाना निवाडी गाजियाबाद
- 4- मु0अ0सं0-23/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम, थाना निवाडी गाजियाबाद
- 5- मु0अ0सं0-24/21 धारा 482/414 भादवि, थाना निवाडी गाजियाबाद
- 6- मु0अ0सं0-25/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम, थाना निवाडी गाजियाबाद
- 7- मु0अ0सं0-26/21 धारा 482/414 भादवि थाना निवाडी गाजियाबाद
- 8- मु0अ0सं0-02/21 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना निवाडी गाजियाबाद
- 9- मु0अ0सं0-18/21 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना भोजपुर गाजियाबाद
- 10-मु0अ0सं0-2097/19 धारा 379 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद



थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 01.02.2021 को हुई थाना क्षेत्र में हत्या की घटना का सफल अनावरण कर हत्या कारित करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त की निशानदेही पर मृतका की एक जोड़ी चप्पल वरामद की गयी ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 01.02.21 को मूवी मैजिक हॉल के पीछे वाल्मीकि कालोनी थाना लोनी बोर्डर गा0बाद में हुई हत्या का सफल अनावरण कर अभि0 पवन कुमार s/o श्री श्रीपाल निवासी म0नं0 c-74 इन्द्रापुरी थाना लोनी बोर्डर गा0बाद को समय 13.35 बजे को 2 नम्बर बस स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया तथा अभि0 की निशानदेही पर मृतका कु0 आरती उर्फ अनिता की एक जोड़ी चप्पल घटनास्थल से प्राप्त की गयी ।

अभि0 से सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि साहब मेरी कु0 आरती उर्फ अनिता पुत्री मदनपाल निवासी मूवी मैजिक हाल के पीछे वाल्मिकी बस्ती इन्द्रापुरी थाना लोनी बोर्डर गा0बाद के परिवार के बच्चों के झगड़ों को लेकर दुश्मनी थी जिस कारण मैं कु0 आरती उर्फ अनिता की हत्या करना चाहता था । दिनांक 31.01.2021 को मैं अपने घर के बाहर खड़ा था तो रात्रि के करीब 8.30 बजे उक्त आरती उर्फ अनिता काम करके अपने घर वापस आ रही थी जैसे ही आरती उर्फ अनिता मेरे मकान के कोने पर पहुंची तो मैंने एक दम उसका गला पकडकर दबाते हुए नीचे गिरा लिया तथा पूरी ताकत लगाकर उसका गला दबा दिया जिससे अनिता उर्फ आरती मौके पर ही मर गयी थी जिसे मैंने वहीं झाड़ियों में छुपा दिया था ।

नाम पता अभियुक्त -

पवन कुमार s/o श्री श्रीपाल निवासी म0नं0 c-74 इन्द्रापुरी थाना लोनी बोर्डर गा0बाद

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 68/21 धारा 302/201 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद

बरामदगी का विवरण-

एक जोड़ी चप्पल मृतका



02 मादक पदार्थ तस्क़र गिरफ़्तार :- थाना खोड़ा पुलिस द्वारा दिनांक 03.02.21 को समय 09.45 बजे गुर्जर गेट के पास से अभियुक्तगण १. राजेन्द्र पुत्र रामनिवास निवासी गर्म सरवत थाना नई मंड़ी जनपद मुजफ्फरनगर 2. शाहरुख़ पुत्र मोबिन निवासी उपरोक्त को गिरफ़्तार किया है | जिनके कब्जे से 50-50 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ है |

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा गैर प्रान्त की अबैध शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ़्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दिनांक 03.02.2021 को समय करीब 09.10 बजे शहजादपुर चौहराहे से करीब 35 कदम की दूरी पर अभियुक्त आकाश पुत्र विक्रम सिंह उम्र 20 वर्ष नि० ग्राम विहिंग थाना मुरादनगर गा०बाद हाल पता बल्ली त्यागी का किराये का मकान गली न० 5 रावली रोड गोपाल पुरम थाना मुरादनगर को मय 45 पक्के क्रेजी रोमियो फोर सेल अरूणाचल प्रदेश ऑन्ली अंग्रेजी शराब गैर राज्य प्रान्त के साथ गिरफ़्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि साहब मैं काफी समय से अवैध तरीके से बाहरी राज्यों से सस्ते दामो पर शराब लागर महेगे दामो पर लोगो को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।

नाम पता अभियुक्तगण:-

आकाश पुत्र विक्रम सिंह उम्र 20 वर्ष नि० ग्राम विहिंग थाना मुरादनगर गा०बाद हाल पता बल्ली त्यागी का किराये का मकान गली न० 5 रावली रोड गोपाल पुरम थाना मुरादनगर

आपराधिक इतिहास:-

- मु०अ०सं० 0070/21 धारा 60/63 आब० अधि० थाना मुरादनगर, गा०बाद



थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित व 2000/- रु0 का ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गाजियाबाद व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर गाजियाबाद के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना मुरादनगर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 03.02.2021 को थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 325/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त व 2000 का ईनामी तस्लीम पुत्र सलीम मौ0 हकीमपुरा रावली रोड कस्बा व थाना मुरादनगर गा0बाद को घटना स्थल रावली कट समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध मु0अ0सं0 941/19 धारा 3/5/8 गौ0 अधि0 का मुकदमा दर्ज है। अभियुक्त की गिरफ्तारी पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गाजियाबाद महोदय द्वारा 2000/- रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

तस्लीम पुत्र सलीम नि0 मौ0 हकीम पुरा रावली रोड कस्बा व थाना मुरादनगर गा0बाद
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 941/19 धारा 3/5/8 गौवद्ध अधि0 थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- मु0अ0सं0 325/21 धारा 2/3 गौ0 एक्ट थाना मुरादनगर गाजियाबाद



थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा अवैध नशे के कारोबार में लिप्त एक अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 124ग्राम नाजायज नशीला पाउडर अल्प्राजोलम बरामद।



कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतूर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक 02.02.2021 को समय करीब 23.50 बजे जबाहर पार्क मूवी पैलेस से अभियुक्त राजा उर्फ समीर पुत्र नबाव नि० म०नं० सी-126 शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को 124ग्राम नाजायज नशीला पाउडर अल्प्राजोलम अवैध के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ हेतु व अपने व अपने परिवार का भरण पोषण हेतु अवैध नशीले पाउडर को सस्ते दामों में खरीदकर नशा के आदि लोगों को महंगे दामों में साहिबाबाद व आसपस के क्षेत्र में बिक्री करता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- राजा उर्फ समीर पुत्र नबाव नि० म०नं० सी- 126 शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

- मु०अ०सं० 159/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

- 124 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम नाजायज बरामद